अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2022(GCMS 2022/187)(आरटीआई नं. 212774152357306) श्री मोती चौधरी मार्फत कमलेश रानी पुत्री श्री राजकुमार पूनियां, निवासी चक 17 बीबी, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति.जिला कलक्टर(प्र.), श्रीगंगानगर

17.05.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोती चौधरी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्र.),श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2022 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मोती चौधरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.05.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी:

> प्रथम अपील सूचना अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपील संख्या 18/2022 जिसका फैसला 25.04.2022 मोती चौधरी बनाम प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार द्वारा अपील की सुनवाई मुझे अप्रार्थी का जवाब व उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्य की कॉपी नहीं दी गई थी। अतः सूचना के अधिकार में निम्नलिखित दस्तावेजों की कॉपी दे, जो की फैसले में वर्णित है।
>
> 1. सूची पत्रावली बस्ता नं. 3
> 2. सूची रिकॉर्ड
> 3. रिकॉर्ड तलफी हेतु दिनांक 27.__.2006 का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:26 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक कार्य रिकॉर्ड / 22 / 120 दिनांक 12.08.2022 के द्वारा अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रांक 2385 दिनांक 30.05.22 जो इस कार्यालय को 01.06.2022 को प्राप्त हुआ, जिसका प्रतिउत्तर इस कार्यालय के क्रमांक 82–83 दिनांक 01.07.2022 को अपीलार्थी मोती चौधरी को भिजवाया जा चुका है। सुलभ संदर्भ हेतु पूर्व पत्र की फोटो प्रति इस पत्र के संलग्न कर भिजवाई जा रही है।
>
> -sd-
> प्रभारी अधिकारी
> कार्यलय रिकॉर्ड
> कलेक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

प्रभारी अधिकारी, कार्यालय रिकॉर्ड, कलक्ट्रेट, श्रीगंगनगर ने अपने पत्रांक 120 दिनांक 12.08.2022 से अपील का उक्तानुसार जवाब दिया है जिसके अनुसार उनके द्वारा अपने पत्रांक 82–83 दिनांक 01.07.2022 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उन्हें उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, कलक्ट्रेट,** श्रीगांगनगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले **न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:26 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर